

दिनांक 14 मई 2024 को कोतवाली पटेलनगर पुलिस ने 01 नशा तस्कर को PIT NDPS ACT (स्वापक औषधी और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988) के तहत जिला कारागार में कराया गया निरूद्ध।

कोतवाली पटेलनगर

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 को सकार करने तथा मादक पदार्थों की तस्करी में प्रभावी रोकथाम लगाते हुए तस्करी में लिप्त नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश निर्गत किये गये है, साथ ही जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा थाना प्रभारियों के साथ गोष्ठी कर उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय नशा तस्करों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध PIT NDPS ACT (स्वापक औषधी और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988) के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के क्रम में थाना पटेलनगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत नशा तस्करों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पुलिस टीम गठित की गई है। गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय अभियुक्त मोहसिन राव के आपराधिक इतिहास के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई, तो अभियुक्त का वर्तमान में भी मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय होना तथा अपने गुर्गों के माध्यम से अपने नशे के कारोबार को फैलाने की जानकारी मिली, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध PIT NDPS ACT में कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय से समस्त दस्तावेज प्राप्त करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई तथा अभियुक्त को PIT NDPS ACT के तहत निरूद्ध किये जाने हेतु उक्त रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएसपी देहरादून के माध्यम से सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया गया, जिस पर सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन द्वारा अभियुक्त मोहसिन राव को PIT NDPS ACT के तहत जिला कारागार में निरूद्ध किये जाने के आदेश जारी किये गये। जिस पर आज दिनांक 14-05-2024 को पटेलनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहसिन राव को उक्त आदेश के क्रम में गिरफ्तार कर निरूद्ध(DETAIN) हेतु जिला कारागार सुदोवाला में दाखिल किया गया। पूर्व में भी एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर थाना रायपुर पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर को PIT NDPS ACT के तहत जिला कारागार सुदोवाला में निरूद्ध कराया गया था। निरूद्ध अभियुक्त लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में सक्रिय था, जो अपने गुर्गों के माध्यम से नशे के कारोबार को फैला रहा था, जिसे पूर्व में दो बार पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की Commercial Quantity के साथ गिरफ्तार किया गया था, इस सम्बंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना पटेलनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत है।

नाम/पता अभियुक्त

मोहसिन राव पुत्र अनवर राव, निवासी मक्का मस्जिद चौक, निकट पिलखन का पेड मेंहूवाला, कोतवाली पटेलनगर, जनपद देहरादून, उम्र 33 वर्ष

आपराधिक इतिहास

- 1- मु0अ0सं0- 68/21, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, कोतवाली पटेलनगर, देहरादून
- 2- मु0अ0सं0- 780/22, धारा 8/21/27 ए, एनडीपीएस एक्ट, कोतवाली पटेलनगर, देहरादून

पुलिस टीम

- 1- व0उ0नि0 मनमोहन सिंह, कोतवाली पटेलनगर

- 2- उ0नल0 वलकत डुरतलड रलही, कूकी डुरडरल, आई0स0डी0टी0
- 3- कल0 वलनूद डककूटी,
- 4- कल0 नूरक सलडनुत

